



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122025-268158
CG-DL-E-02122025-268158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5363]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 5363]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

(आयकर)

का.आ. 5551(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80जी की उपधारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा मोटा मंदिर न्यास, मुंबई, महाराष्ट्र (पैन: AABTM9049C) द्वारा प्रबंधित "श्री बालकृष्ण लालजी एवं अन्य देवताओं के मंदिर" भुलेश्वर, मुंबई को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में प्रसिद्ध ऐतिहासिक महत्व के स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

यह अधिसूचना केवल “श्री बालकृष्ण लालजी एवं अन्य देवताओं के मंदिर” भुलेश्वर, मुंबई के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए ₹ 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़ मात्र) की सीमा तक वैध होगी तथा उक्त राशि एकत्र होने के पश्चात् या दिनांक 31.03.2030 को, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगी।

[अधिसूचना सं. 166 / 2025/ फा. सं. 300176/2/2025/आईटीए-1]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd December, 2025
(INCOME –TAX)

S.O. 5551(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Shree Balakrishna Lalji & other deities temple” Bhuleshwar, Mumbai managed by Mota Mandir Trust, Mumbai, Maharashtra (PAN: AABTM9049C) to be place of historic importance and a place of public worship of renown throughout the states of Maharashtra and Gujarat for the purposes of the said section.

The Notification will be valid only for the renovation or repair of the “Shree Balakrishna Lalji & other deities temple” Bhuleshwar, Mumbai to the extent of Rs. 50,00,00,000/- (Rupees Fifty Crore only) and will cease to be effective after the said amount has been collected or on 31.03.2030, whichever is earlier.

[Notification No. 166 / 2025/F. No. 300176/2/2025/ITA-I]

INDU BALA, Dy. Secy.